

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी के संबंध में ।

- **आवेदन:-** सर्वप्रथम आवेदक संबंधित विभाग के लोकसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा(1)के तहत निर्धारित प्रारूप में अथवा सादे कागज पर अपने स्वयं के नाम पते तथा चाही गई जानकारी(मांगी गई सूचना की विशिष्टिया विनिर्दिष्ट करते हुए) के विवरण के साथ निर्धारित फीस 10/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प /पोस्टल आर्डर अथवा नगद राशि जमा कर आवेदन प्रस्तुत करेगा । गरीबी रेखा के निचे जिवन यापन करने वाले आवेदक का ओदन फीस से मुक्त रखा गया है। इस हेतु आवेदक को गरीबी रेखा राशन कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी ।
- **आवेदन का निपटारा :-**संबंधित लोकसूचना अधिकारी आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी को निर्धारित समय 30 दिवस में उपलब्ध करायेगा । जहां जानकारी नागरिक के जीवन मूल्यों से संबंधित जानकारी चाही जाने पर 48 घंटे मे उपलब्ध कराई जावेगी । आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी का संबंध किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या जिसकी विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है वहाँ आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा(1) के तहत निर्धारित समयावधि 05 दिवस में अंतरित करेगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा ऐसी स्थिति में जानकारी निर्धारित समयसीमा 35 दिवस में उपलब्ध करायेगा ।
उदाहरण:- आवेदक द्वारा कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में जानकारी चाही जाती है। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी आयुक्त नगर पालिका निगम देवास से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा(1) के तहत निर्धारित समयावधि 05 दिवस में अंतरित कर आवेदक को सूचित किया जावेगा ।
- **फीस धारा -07 की उपधारा (1)** के तहत लोक सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु फीस जो नगद के रूप में अथवा /माँग देय ड्राफ्ट /बैंकर चैक अथवा विभाग के निर्धारित मद मे चालान जमा कर आवेदक को उपलब्ध करायेगा ।
- तैयार किए गये या प्रतिलिपि किए गये प्रत्येक पृष्ठ(ए-4, ए-3) के लिये 02/-रु प्रति पृष्ठ या संबंधित लोकप्राधिकारी द्वारा उस प्रतिलिपि के लिये शासन द्वारा काई शुल्क निर्धारित किया गया है वो ।
- अगर बड़े आकार की प्रतिलिपि है, नमूने या माडल तो उस प्रतिलिपि को तैयार करने की वास्तविक लागत ।
- अभिलेख अवलोकन हेतु प्रत्येक पहले घंटे के लिये कोई फीस नही उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिये पाँच रुपये ।
- डिस्क, फ्लापी के लिये प्रति डिस्क फ्लापी 50 रुपये,
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं धारा 11 मे निहित प्रावधानो के तहत सूचना प्रकट किये जाने से छूट प्रदान की गई है ।
- निर्धारित समयावधि 30 दिवस बाद जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो आवेदक को जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी ।
- प्रश्नवाचक जानकारी तथा जानकारी को तैयार कर दिये जाने के प्रावधान नही है। कार्यालय में संधारित जानकारी ही प्रदाय की जावेगी ।
- किसी भी तृतीय पक्ष के संबंध मे सूचना चाही गई है तो तृतीय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना होगा । साथ ही व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में संबंधित की अनुमती ली जाना आवश्यक है ।

- प्रथम अपील :-आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी निर्धारित समय में आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जाती तो आवेदक लोकप्राधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत अपील आवेदन निर्धारित शुल्क 50/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प /पोस्टल आर्डर अथवा नगद राशि जमा कर प्रस्तुत करेगा ।
- द्वितीय अपील निर्णय से संतुष्ट न होने पर आवेदक द्वितीय अपील राज्य लोकसूचना आयोग के समक्ष तथ्यों के साथ प्रस्तुत की जावेगी ।

प्रारूप-एक

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम -
2. पुरा पता -
3. दूरभाष क्रमांक -
4. आवेदन देने का दिनांक -
5. कार्यालय का नाम -
6. चाही गई जानकारी -
.....
.....
.....
.....
7. क्या चाहते हैं नकल/निरिक्षण -
रिकार्ड निरिक्षण/रिकार्ड की
प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदक के साथ अदा किये
जाने वाले प्रोसेसिंग फीस रु
10/- नगद रसीद क्रमांक....
.....एवं दिनांक.....
अथवा स्टाम्प
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है हाँ / नहीं
अथवा नहीं-हाँ/नहीं यदि हाँ तो बीपीएल
की सूचि का अनुक्रमांक

दिनांक / /

हस्ताक्षर

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक :

2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी :

प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम
कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का
दिनांक

3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहाँ :

से जानकारी उपलब्ध होगी


(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना
अधिकारी द्वारा प्राधिकृत
(पद नाम रबर सील)

प्रारूप - एक - दो
(नियम-3 (1) देखिए)



सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

प्र0क्र0...../देवास/म0प्र0

पंजीयन क्रमांक.....

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी
कलेक्टर कायस्थ देवास
तहसील कार्यालय देवास

1. आवेदक का नाम : जगदीश सेनी
2. पूर्ण पता जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है: B-42, चिनार पार्क महु गांव महु
3. दूरभाष क्रमांक : 9303236766
4. आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक : 9 दिसंबर 2020
5. चाही गई जानकारी का विवरण : विवरण निम्नानुसार है

(1) दिनांक 25 नवंबर को कबीर आश्रम चूनाखदान तथा ग्राम जामगोद गौशाला अतिक्रमण हटाने की की गई कार्यवाही से संबंधित संपूर्ण नस्ति

6. क्या चाहते हैं नकल/ अभिलेख का निरीक्षण : रिकार्ड की प्रमाणित प्रति
7. आवेदन के साथ संदत्त प्रोसेस फीस : 10/- रुपए स्टाम्प
8. क्या आवेदक भरीबी रेखा के नीचे है : नहीं



पोस्टल आर्डर SDF 83/089 संलग्न 25/11/20

हस्ताक्षर
जगदीश सेनी
(आवेदन कर्ता)

क्रमांक/५२३/सू०के०अ०/२०२०

देवास दिनांक १०/१२/२०२०

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५

आवेदन पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी पत्र

द्वारा :- कार्यालय कलेक्टर जिला देवास (म०प्र०)

प्रति,

- ① आयुक्त नगर पालिका निगम देवास (म०प्र०)
- ② तहसीलदार तहसील देवास (म०प्र०)

विषय - ग्राम जामगोद जौशाला अतिक्रमण हटाने का कार्य

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ६ की उपधारा (३) के अंतर्गत

श्री जगदीश सैनी महुगांव

से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक ११/१२/२०२० को प्राप्त हुआ परीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति आपके विभाग से संबंधित होने के कारण निर्धारित समयावधि (पाँच कार्य दिवस) में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है।

संलग्न - मूल आवेदन

सहायक लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर जिला देवास (म०प्र०)

पृ.क्रमांक/ सू०के०अ०/२०२०

देवास दिनांक १०/१२/२०२०

प्रतिलिपि-

श्री जगदीश सैनी B-42 चिनार चार्ज महुगांव महु

को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक कार्यालय/विभाग आयुक्त नगर निगम देवास और तहसीलदार देवास से संबंधित होने के कारण दिनांक ११/१२/२०२० को कार्यालय/विभाग CMC देवास / तहसीलदार देवास को अंतरित कर दिया गया है।

अतः कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय/ विभाग CMC / तहसीलदार देवास से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर जिला देवास (म०प्र०)

XX (a) A-7 Subsidiary Rule 19 and 22 under Treasury Rule 10
CHALLAN OF MONEY PAID IN TO THETREASURY
 To be present at the treasury Single or Duplicate of Triplicate as case may be
 (खजाने में इसकी एक या दो तीन नकल जैसा कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom brought कौन लाया	On what account किस बाबद	under rupees in words कितने रुपये के अन्दर	Amount Rs. P.
विकास नगर 110 अग्रह मिट माग दिवाल	सुचना का आधिकार अधिक तहत जागहारी बाबत		440/-
		TOTAL मीजान	440/-
Head of revenue	मुख्य शीर्ष 0070	Detail तफसील-	
Major head	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Notes नोट-	
Detailed head	उप शीर्ष 60-अन्य सेवाएं	Cash नगदी-	
	सघु शीर्ष-800-अन्य	Total मीजान-	
	शक्तियां (10)		

Certified that the amount shown above
 has been entered the departmental
 register of the Head of Revenue deposit
 Date 22/6/2020 Departmental Officer

Signature of Tenderer
 दाखिल करने वालों के हस्ताक्षर

FOR USE IN TREASURY ONLY (खजाने में इस्तेमाल करने के लिए)

Examined	RECEIVED	Entered No.
Initials of	Rs. (In figures) 4400	SIGNATURE of
Accountant	Rs. (In Words) चार हजार चार सौ	Accountant
Date	Signature of Treasurer	SEAL
	TREASURY OFFICE	Shakva - 7860269